केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
श्री रणवीर परिसर,
कोट-भलवाल,जम्मू-181122

छात्रावास आवंटन तथा नियमावली पत्र

दिनांक............................श्री/सुश्री..सुपुत्र/सुपुत्री.... ....अनुक्रमाङ्क.....................................कक्षा............................ परिसर के पुरुष / महिला छात्रावास में निवास सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र विचार करने के बाद आपको शैक्षिक सत्र के दौरान केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय , श्री रणवीर परिसर , कोट - भलवाल , जम्मू के पुरुष छात्रावास / महिला छात्रावास के कक्ष संख्या .... में निवास की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति आपको इस शर्त पर दी जा रही है कि आप निम्नलिखित छात्रावास एवं भोजनालय नियमों का पालन करेंगे। आपके द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में यह अनुमति निरस्त कर दी जायेगी और आपको तत्काल छात्रावास छोड़ देना होगा।

छात्रावास सम्बन्धी नियम

1. यह आवंटन केवल इस सत्र के लिए ही है , सत्रावसान के साथ ही आपको अपना आवंटित कक्ष खाली करके . और कक्ष में लगी सभी सामग्री की ठीक स्थिति सुनिश्चित करके अपने कक्ष को परिसर के सम्बन्धित अधिकारी को जमा करके आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। सत्रावसान के साथ ही आपको सारा भोजनशुल्क , अगर बकाया हो , तो अदा करके भोजनालय समिति से भी अदेयता प्रमाण - पत्र (No Dues Certificate) प्राप्त करना होगा। यह दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आपकी सुरक्षित धनराशि (Caution Money) तथा चरित्र प्रमाण पत्र आदि अन्य आवश्यक दस्तावेज आपको परिसर से दिये जायेंगे।
2. जब भी परिसर- प्रशासन को लगे कि असाधारण अथवा विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है , आपको अपना आवंटित कक्ष छोड़ना होगा।
3. आपको आवंटित कक्ष तथा उसके भीतर लगी / रखी सारी सामग्री की यथासमय सुरक्षा व देखभाल का उत्तरदायित्व आप पर होगा। उसकी किसी प्रकार की हानि की भरपाई आपको करनी होगी।
4. आपके द्वारा छात्रावास , छात्रावास परिसर , छात्रावास के भोजनालय परिसर फर्नीचर तथा अन्य सामग्री को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। क्षति पहुंचने पर क्षति की भरपाई आपको करनी होगी।
5. छात्रावास व छात्रावास परिसर में समय - समय पर चलाए जाने वाले सौंदर्यीकरण अभियानों में आप अपना सक्रिय योगदान देंगे।
6. आपको अपना आवंटित कक्ष साफ - सुथरा रखना होगा और जब भी छात्रावास अधिकारी चाहें , आप अपने कक्ष के निरीक्षण में सहयोग देंगे।
7. आपको छात्रावास में होने वाली प्रातःकालीन व संध्याकालीन उपस्थिति के दौरान उपस्थित रहना होगा।
8. छात्रावास भोजनालय की गतिविधियों में आपको समय का पालन करना होगा।
9. दोनों छात्रावास के सुचारु संचालन के लिए आपको सौंपे गए दायित्व का आपको यथाशक्ति निर्वाह करना होगा।
10. छात्रावास में अपने निवास के दौरान आपको अनुशासन का कड़ाई से पालन करना होगा।
11. आप छात्रावासाध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना न तो छात्रावास या परिसर से बाहर जाएंगे , न ही बाहर रहेंगे।

12. आप किसी अतिथि (मित्र या सम्बन्धी) को न तो छात्रावास में आमन्त्रित करेंगे तथा न ही उसे अपने कक्ष में ठहरायेंगे।
13. आप अपने आवंटित कक्ष में ही रहेंगे , किसी और के कक्ष में नहीं।
14. आप किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की छात्र प्रताड़ना (Ragging) में भाग नहीं लेंगे , उसमें सहयोग नहीं देंगे और किसी को भी छात्र प्रताड़ना के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे।
15. छात्रावास में अपने निवास के दौरान आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार , हिंसा , गाली - गलौच नहीं करेंगे और न ही किसी के द्वारा आपके प्रति ऐसा व्यवहार किये जाने पर कानून अपने हाथ में लेंगे , बल्कि ऐसी घटना होने पर उसकी सूचना शीघ्रातिशीघ्र संबन्धित अधिकारियों को देंगे।
16. आप अपना समय बेकार की गतिविधियों में नष्ट नहीं करेंगे , बल्कि अपना समय और शक्तियाँ पढ़ाई में लगायेंगे।
17. आप अपने पास या अपने कक्ष में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ या पेय , तम्बाकू उत्पाद (जैसे गुटखा , सिगरेट वगैरह) नहीं रखेंगे और न ही उसका उपयोग करेंगे।
18. आप अपने कक्ष में (मोबाईल फोन के अतिरिक्त) किसी भी प्रकार का बिजली या इलेक्ट्रोनिक उपकरण नहीं रखेंगे और न ही उसका उपयोग करेंगे।
19. आप किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेंगे , न ही उसका उपयोग करेंगे।
20. आप किसी भी प्रकार का अस्त्र - शस्त्र अपने पास या अपने कक्ष में नहीं रखेंगे , और न ही उसका उपयोग करेंगे।
21. छात्रावास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के जान - माल को क्षति पहुँचाने वाली कोई भी गतिविधि आप न तो स्वयं करेंगे , न ही ऐसी गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे और न ही ऐसी किसी गतिविधि में सहयोग करेंगे।
22. आप छात्रावास में जुआ , ताश , सट्टेबाजी जैसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे।
23. आप किसी गैर - कानूनी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे , न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
24. अपने आवंटित कक्ष में आप किसी प्रकार का भोजन नहीं पकायेंगे।
25. आप छात्रावास परिसर का उपयोग किसी भी प्रकार की राजनीतिक , राष्ट्र विरोधी , समाज - विरोधी या आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं करेंगे।
26. आप अपने कक्ष का कूड़ा केवल कूड़ेदान में ही फेंकेंगे ताकि उसकी समुचित सफाई की जा सके।
27. आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे छात्रावास या भोजनालय के कर्मचारियों को अपने आधिकारिक दायित्व के निर्वाह में बाधा उत्पन्न हो।
28. आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे छात्रावास या भोजनालय के कर्मचारियों को अपनी आधिकारिक दायित्व के निर्वाह में बाधा उत्पन्न हो।
29. भोजनालय , स्नानगृह या प्रसाधन कक्ष का उपयोग करते समय आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे और जोर - ज़बरदस्ती , डरा - धमका कर किसी से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे।
30. आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म , जाति , सम्प्रदाय , सामाजिक - वर्ग , भाषा प्रान्त या क्षेत्र का अपमान होता हो , या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती हो।
31. आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे , तथा कोई भी बहुमूल्य वस्तु या नकदी छात्रावास - परिसर में नहीं रखेंगे।
32. आप किसी भी परिस्थिति या उकसावे में छात्रावास - परिसर में अपशब्दों , गालियों या असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तथा न ही किसी व्यक्ति को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे।
33. आप सीटी बजाने , उच्च स्वर में गाने दरवाज़े या फर्नीचर पर चोट करने जैसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी के काम या आराम में बाधा पड़ती हो।

भोजनालय नियम -

1. इस शैक्षिक सत्र 2022-2023 प्रशासन के द्वारा कापरेटिव मैस संचालन का निर्धारण किया गया है।
2. छात्रावास भोजनालय में भोजन व्यवस्था हेतु कापरेटिव मैस के द्वारा निर्धारित शुल्क प्रत्येक माह के दिनांक 05 तक जमा कराना होगा।
3. छात्रों को प्रथम प्रवेश के समय भोजन व्यय 02 माह का (2000+2000=4000/-) जमा करना होगा। जिसमें वर्तमान माह का एक तथा अन्तिम माह का एक।
4. भोजनालय से बाहर भोजन करने या बाहर से खाद्य सामग्री ला कर खाने की अनुमति नहीं है।
5. भोजन केवल भोजनालय में ही करना होगा , भोजन आवासीय कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।
6. भोजनालय में भोजन निर्धारित समयानुसार ही करना होगा।
   नाश्ता - प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक ,
   दोपहर का भोजन 1 बजे से 2 बजे तक ,
   रात्रि का भोजन 7:30 बजे से 8:30 तक)
7. अवशिष्ट भोजन या जूठन निर्धारित पात्र में ही फेंकें , ताकि भोजनालय की स्वच्छता बनाई रखी जा सके।
8. छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक अन्तेवासी (छात्र / छात्रा) को भोजनालय में भोजन करना अनिवार्य होगा।
9. छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र को भोजनालय सम्बन्धी शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। छात्रावास से अनुपस्थित रहने की दशा में भी निर्धारित भोजन शुल्क देना अनिवार्य होगा।
10. परिसर अवकाश रहने पर अथवा परिसर कार्य से बाहर जाने पर भोजन शुल्क में छूट मिलेगा।
11. भोजन काल के अतिरिक्त भोजनालय में प्रवेश निषेध रहेगा। भोजनालय कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
    भोजनालय सम्बन्धी समस्त कार्य का संचालन सामूहिक उत्तरदायित्व निर्वहण से होगा। इस कार्य में प्रत्येक छात्र को समय - समय पर यथोचित दायित्व दिया जाएगा। जिसका अनुपालन प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से करना होगा।

मैं छात्रावास के उपर्युक्त सभी नियमों का पालन करूँगा--/ करुँगी ऐसा नहीं करने पर मुझें छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर, जम्मू छात्रावास में
आपके सुखद, शान्तिपूर्ण तथा शैक्षिक दृष्टि से लाभप्रद निवास की कामना करता हूँ।

छात्रावाससाध्यक्ष **निदेशक**